

11/5/16 पत्रावली के राजस्थान लोक अदालत में पेश हुई
ब चाडी द्वारा प्रस्तुत दावा वायव स्वार्ड निषेधाज्ञा
एवं उपलब्ध रिकार्ड (राजस्थान) गणपती सम्वत् 2015
ग्राम जमालपुर खाता नं 38 के पैलान बेल्ला
कुलकिता 18 कुल रकवा 3.86 हेक्टर के किंगोरी,
ग्रु एव लोहे (वाडी) फिराग और ल रवालेगारे
वाडी (लोहे) ने वाड के मुताजिका 4 में अंका किना
है कि वाडी एवं प्रतिवाडी नं. 2 ता. 4 संयुक्त रवालेगा
है। ऐसी स्थिति में चरस विवादिता अदि के
प्रत्येक हिस्से पर वाडी एवं प्रतिवाडीगण मालिकाना
हक रखते हैं। रिकार्ड के अनुसार वाडी द्वारा
प्रस्तुत वाड पत्र वायव स्वार्ड निषेधाज्ञा धारा
188 को चलाना और्विस्व पूर्ण नहीं है। वाड पत्र में
लकास्ता होना आ 19414 था। उसके उपरान्त ही
स्वार्ड निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। - कि
राजस्थान रिकार्ड की स्थिति एवं वाड पत्र की रिप्लिक
के अद्वैतज्ञा रखते हुए वाडी के प्रयत्न द्वारा अंगार
का दावा RTA धारा 53 प्रस्तुत कले के उपरान्त स्वार्ड निषेधा
दी जा सकती है अतः दावा शमारिज फलान्न जाता है।
4 निर्णय उपस्थित ग्राम पंचायत रेकड का समीक्षा के
समक्ष सुनाया गया। मन्नावली केसल नुमप हो
नम्बर से कद है। वाड तकमीत हाखिल स्तर
किना जाये।

उप निष्ठा कलेक्टर
दिण्डौरा, जिला करीली